कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

सेवा में, पत्रांक 4237 /12-1 दिनांक, 08/06/ 2026

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगडा से ठाठ गांव तक मोटर मार्ग। लम्बाई 2.00 किमी0(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/SCH/15504/2015)

संदर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 213 / 2016 / एफ0सी0 / 522 दिनॉक 06.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	राज्य सरकार द्वारा alternate alignment का सही परीक्षण नहीं किया गया है क्योंकि आस–पास नाप भूमि की अधिकता है जिसका उपयोग road alignment के लिये किया जा सकता है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बाबत अपनी टीम प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा विभाग द्वारा मुख्य मार्ग से लगे नाप खेतों से मोटर मार्ग के संरेखण को प्रस्तावित किये जाने के प्रयास किये गये। आस पास की नाप भूमि राज्य राजमार्ग 39 से लगी भूमि है जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यक्तियों द्वारा क्रय की गयी है। मोटर मार्ग हेतु उक्त भूमि दिये जाने में आपत्ति की गयी जिस कारण मार्ग अन्य स्थान से प्रस्तावित किया गया।
2	प्रस्तावित क्षेत्र में एक मार्ग पूर्व से ही निर्मित प्रदर्शित हो रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस मार्ग के निर्माण की जानकारी जैसे इसका निर्माण कब एवं किसके द्वारा किया गया था तथा FC Act (1980) के तहत् ली गई स्वीकृति, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मार्ग के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मार्ग पूर्व से ही अस्तित्व में है। विस्तृत जानकारी वर्तमान में अभिलेखों से स्पश्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।
3	मलबा निस्तारण हेतु नाप भूमि का चयन किया गया है, किन्तु योजना मे उपलब्ध गणना सही प्रतीत नहीं होती है और न ही dispose किये जाने वाले मलबे की गणना dumping yard की capacity से मेल खाती है। अतः राज्य सरकार संशोधित मलबा निस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित मलवा निस्तारण योजना संलग्न कर प्रेषित है।
4	मार्ग के समरेखण हेतु 9 मीटर चौड़ाई के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गणना की गई है, साथ ही वृक्षों की गणना भी 9 मीटर पर की गई प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि नियमानुसार 7 मीटर पर वृक्षों की गणना कर सूची इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 चौड़ाई में करा ली गयी है। वृक्षों की सूची संलग्न कर प्रेषित है।
5	पूर्व में आनलाईन पोर्टल पर भाग 114 वृक्ष दर्शाये गये थे जिनमें 0–30 गर्थ अथवा सैपलिंग को छोड़ दिया गया था जो कि enumeration के अनुसार 105 थे। राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी को सम्मिलित करते हुये आनलाईन पोर्टल पर दर्शाने का कष्ट करें।	वृक्षों की सही गणना सूची पार्ट–II ऑनलाईन कर दी गयी है। पार्ट– II की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
6	शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना हेतु घने वन की श्रेणी अनुसार दर लगाई गई है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार वृक्षों के enumeration को 7 मीटर पर की गई गणना अनुसार करने के उपरान्त यथानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना सही कर दी गयी है।(छाया प्रति संलग्न)
7	राज्य सरकार guideline के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा राज्य सरकार guideline के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।

तिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार, कुल 234 है० क्षेत्र में से 1.0 है MDF एवं 1.0 है0 VDF पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर आनलाईन जानकारी को replace करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित सी0ए0 योजना संलग्न कर ली गयी है।

संलग्नः– मूल में तीन (3) प्रतियाँ।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।

पत्रांक 4237 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड,देहरादून ।
2. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।